न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।

उपस्थित–महेन्द्र सिंह-III, एच.जे.एस.
वैवाहिक वाद संख्या–662 सन 2021

सन्दीप, पुत्र शमशेर सिंह, निवासी–ग्राम चांदौक, तहसील–शिकारपुर, जिला–बुलन्दशहर।

————————याची।

बनाम

श्रीमती भावना, पत्नी सन्दीप पुत्री लाखन सिंह, निवासी–ग्राम सिरसा टिप्पू, थाना–मिरेची, जिला–ऐटा।

————————विपक्षिया।

अन्तर्गत धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम
दायरा दिनांक–15.06.2021
निर्णीत दिनांक–10.01.2023

–:: एकपक्षीय निर्णय ::–

वर्तमान याचिका, याची/वादी, सन्दीप द्वारा विरूद्ध विपक्षिया, श्रीमती भावना, अन्तर्गत धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम, वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना हेतु योजित की गयी है।

संक्षेप में याची/वादी का याचिका में कथन इस प्रकार है कि उसका विवाह विपक्षिया/प्रतिवादिनी के साथ दिनांक–20.07.2018 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। याची/वादी ने विपक्षिया/प्रतिवादिनी को बड़े लाड़–प्यार से रखा, परन्तु विपक्षिया कभी भी खुश नहीं हुई और आये दिन गृह क्लेश कर झगड़ा व अशोभनीय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती रही। विपक्षिया/प्रतिवादिनी ने कभी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। हमेशा परिवार में कलह ही करती रहती। विपक्षिया/प्रतिवादिनी, याची पर परिवार से अलग रहने का दवाब डालती। यदि वह मना करता तो घर में लड़ाई–झगड़ा व कलेश करती। याची के बूढे मां–बाप व एक छोटा भाई भी है, जिनकी जिम्मेदारी भी याची के ऊपर थी। याची के समझाने के बावजूद भी विपक्षिया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गयी और

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।

Digitally signed by MAHENDRA SINGH
Date: 2023.01.10 16:22:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षिया याची से अपनी सभी नाजायज बातें मनवाने लगी। याची को विपक्षिया ने झूंठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिस कारण याची बहुत भयभीत हो गया और चुपचाप विपक्षिया का जुल्म सहने लगा। विपक्षिया का बार–बार, बात–बात पर झगड़ा कर याची को बिना बताये घर से अकेले चला जाना तथा अपने मायके पहुंच जाना और याची के द्वारा बार–बार लिवाने जाने के बाद भी न आना तथा याची को यह कहकर बेइज्जत करना कि तू मेरे लायक नहीं है। इस प्रकार विपक्षिया याची का लगातार मानसिक शोषण करने लगी, जिस कारण याची मानसिक तनाव में रहने लगा। याची ने विपक्षिया को काफी समझाने का प्रयास किया तो विपक्षिया याची व उसके परिवार को झूंठा फंसाने की धमकी देने लगी। याची जब काम के सिलसिले में बाहर चला जाता तो विपक्षिया मौके का फायदा उठाकर पूरी–पूरी रात मोबाईल पर अज्ञात लड़कों से बात करती थी। याची की माता श्रीमती नीलम ने विपक्षिया को पकड़ लिया और उसके मायके वालों को बुलाकर उसकी शिकायत की, जिस पर विपक्षिया के मायके वाले याची के परिवारवालों पर भड़क गये और धमकी देकर गये कि हमारी बेटी को कुछ भी कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विपक्षिया ने दिनांक–02.12.2019 की सुबह करीब 10 बजे याची की अनुपस्थिति में अपने मायके वालों को अपने यहां बुला लिया तथा अपने जेवर के साथ–साथ, याची की माता का जेवर कीमत करीब 1,50,000/–रूपये व 50 हजार रूपये नकद, सेफ से निकालकर अपने मायके चली गयी। याची जब घर वापस आया तो इस प्रकार जाने की बाबत विपक्षिया से बात की तो विपक्षिया ने याची से कहा कि अब तुम्हें और तुम्हारे घरवालों को सबक सिखाऊंगी। याची ने कई बार अपने मिलने वालों तथा रिश्तेदारों को इकट्ठा करके आपसी पंचायत भी की, लेकिन विपक्षिया याची के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। विपक्षिया ने याची के साथ रहने से इनकार कर दिया है। याची व विपक्षिया के मध्य कोई दुरभि–सन्धि नहीं है। उपरोक्त आधारों पर याची द्वारा विपक्षिया के विरूद्व वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक–12.10.2021 को विपक्षिया पर समन का तामीला पर्याप्त माना गया, किन्तु उसके बाद भी जब विपक्षिया/प्रतिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो न्यायालय द्वारा दिनांक–30.11.2021 को उसके विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी।

याची/वादी की ओर से एकपक्षीय प्रलेखीय साक्ष्य में सूची–6ए.1/4 शादी का कार्ड, कागज संख्या–10सी.2 स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं तथा मौखिक साक्ष्य में बतौर पी0डब्लू0–1 अपना साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या–14ए.2 प्रस्तुत किया गया है।

मैने याची/वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया।

निष्कर्ष

याची/वादी द्वारा विपक्षिया के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों के पुर्नस्थापन की आज्ञप्ति मुख्य रूप से इस आधार पर चाही गयी है कि याची/वादी, विपक्षिया को अपने साथ रखने को तैयार है, जिस हेतु उसके द्वारा काफी

प्रयास भी किया गया है, किन्तु विपक्षिया, याची/वादी के पास आकर अपने दाम्पत्य सम्बन्धों की पुर्नस्थापना करने को तैयार नहीं है।

याची/वादी के द्वारा याचिका में उल्लिखित कथनों के समर्थन में एकपक्षीय साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र–14ए.2 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याची/वादी द्वारा याचिका के अभिकथनो का अक्षरशः समर्थन किया गया है।

याची/वादी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः याची/वादी की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य पर किसी विपरीत साक्ष्य के अभाव में विश्वास न किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार याची/वादी अपने द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय रूप से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि याची/वादी की शादी विपक्षिया के साथ दिनांक–20.07.2018 को हिन्दू रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी। याची/वादी एकपक्षीय रूप से यह भी सिद्ध करने में सफल रहा है कि विपक्षिया बिना किसी कारण के याची/वादी से अलग अपने मायके में निवासरत है, जबकि याची/वादी, विपक्षिया को बतौर पत्नि आज भी साथ रखने को तैयार है और उसके द्वारा विपक्षिया को वापस लाने हेतु भरपूर प्रयास भी किये गये हैं, किन्तु विपक्षिया, याची/वादी के घर आकर अपने दाम्पत्य सम्बन्धों का निर्वहन करने को तैयार नहीं है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य से एकपक्षीय रूप से यह साबित होता है कि विपक्षिया, याची/वादी से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पृथक रह रही है, जबकि याची/वादी, विपक्षिया को बतौर पत्नि साथ रखने को तैयार है और वह विपक्षिया को लेने हेतु विपक्षिया के मायके गया है, किन्तु विपक्षिया याची/वादी के साथ नहीं आयी है। अतः ऐसी परिस्थिति में याची/वादी का वाद एकपक्षीय रूप से विपक्षिया के विरूद्ध आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची/वादी, **सन्दीप** के द्वारा विपक्षिया **श्रीमती भावना** के विरूद्ध प्रस्तुत वैवाहिक वाद अन्तर्गत धारा–9 हिन्दू विवाह अधिनियम एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किया जाता है तथा विपक्षिया **श्रीमती भावना** को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश के पारित होने के एक माह के अन्दर याची/वादी के घर आकर वैवाहिक सम्बन्धों की पुर्नस्थापना करे।

दिनांक–10.01.2023

(महेन्द्र सिंह-III)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बुलन्दशहर।
JO Code-UP-5854

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।

न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–10.01.2023

(महेन्द्र सिंह-III)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
बुलन्दशहर।
JO Code-UP-5854

पी0ए0–राजीव शर्मा